

आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशांसा के पश्चात ग्राम प.क.वा.डा. के खाता सं. 5.3.5.34 खसरा नं. में आवेदन

पत्र अनुसार सम्पति देवी पति मदनलाल के स्थान पर सम्पति देवी शब्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश केम्प प.क.वा.डा. ग्राम पंचायत प.क.वा.डा. में दिनांक 26/09/25 को मजमेआम में सुनाया गया।



26/9/25
उपखण्ड अधिकारी
फागी